न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक R-2898-II/13 /2012-13

छोटेलाल पटेल तनय जोमिल पटेल पेशा खेती निवासी ग्राम बघौड़ी तहसील सिहावल, जिला सीधी म0प्र0 ---------- आवेदक

बनाम,

1- हिन्छलाल पटेल } तनय माला पटेल पेशा खेती निवासी ग्राम बघौड़ी
2- अग्नाथ पटेल } तहसील सिहावल, जिला सीधी म0प्र0
3- मध्यप्रदेश शासन ---------- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 305/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च, 2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :----

1/ यह कि प्रस्तुत किये जा रहे पुनरीक्षण के निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस तरह हैं कि :---

(क) यह कि आवेदक ने अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 202 रकबा 0.809 है0 स्थित ग्राम तुड़वार तहसील सिहावल का सीमांकन कराया और सीमांकन प्रतिवेदन में सीमांकित भूमि में हल्का पटवारी ने अनावेदक क्र0 1 और 2 का आधिपत्य प्रतिवेदित किया तथा विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18.9.08 के माध्यम से उक्त सीमांकन को पुष्ट कर दिया तथा यह ध्यान नहीं दिया कि सीमांकन करने वाले पटवारी द्वारा म0प्र0 भू रा0सं0

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2898-II / 13** जिला–सीधी

छोटेलाल / हिन्छलाल पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 305 / निग0 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	